

कार्यवृत्त

सोमवार, 11 कार्तिक, शक संवत्, 1937

(दिनांक 02 नवम्बर, 2015 ई0)

खण्ड—43

अंक—1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम्" से आरम्भ हुआ।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्व० डा० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के निधन पर सदन की ओर से पीठ से शोक संवेदना व्यक्त की गई।

तत्पश्चात् दो मिनट का मौन रखा गया।

नेता प्रतिपक्ष, सरकार के कतिपय अधिकारी के स्टिंग आपरेशन संबंधी, मा० सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने मोटर मार्ग निर्माण संबंधी तथा अन्य भा.ज.पा. सदस्य नियम 310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे अपनी बात प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं। नियम 310 की सूचना परम्परानुसार प्रश्नकाल के पश्चात् उठाई जाती है। श्री अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि वे प्रश्नकाल के पश्चात् अपनी बात उठा लें।

इस पर भा.ज.पा. के सभी सदस्य "वेल" में आकर अपनी अपनी बात जोर जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष के बार बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया और घोर व्यवधान होने लगा। इस पर श्री अध्यक्ष ने 11:15 पर सदन की कार्यवाही 11:45 तक के लिए स्थगित कर दी।

11:45 पर सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का समय 12:20 तक बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही 12:20 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष व भा.ज.पा. के अन्य सदस्य नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने तथा प्रकरण पर सी.बी.आई. जांच की मांग करने लगे।

घोर व्यवधान के मध्य नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गई जो पढ़ी हुई मानी गई:-

- 1 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना सल्ट विधान सभा में चौड़ी घट्टी से चिमटा खाल रोड के डामरीकरण कार्य के प्रारम्भ न करने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
- 2 श्री मदन कौशिक सिचाई विभाग के अधीन वैज्ञानिक संवर्ग के प्रतिरूप सहायक/वैज्ञानिक सहायक/शोध पर्यवेक्षक की वेतन विसंगति के निस्तारण के सम्बन्ध में।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम- 310 तथा नियम-58 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनायें सदन व्यवस्थित न होने के कारण अस्वीकृत करते हैं।

इस पर भा.ज.पा. के सभी सदस्य "वेल" में आकर अपनी अपनी बात जोर जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष के बार बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया और घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-26(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 का आर्थिक चिट्ठा सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 8(3) के अन्तर्गत वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भाग-1 व 2 [निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट)], वित्तीय वर्ष 2012-13 को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(5) के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई गृह विभाग की अधिसूचना संख्या: 977/XX-2/15/03(29)2012, दिनांक 17 जून, 2015, को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का वर्ष 2013-14 का वार्षिक लेखा विवरण तथा केन्द्रीय अधिनियम, 2003 की धारा 105(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के निम्नलिखित संकलनों को सदन के पटल पर रखा।

- (1) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन संपरीक्षा) विनियम, 2015,
- (2) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2015,
- (3) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने हेतु प्रक्रिया) विनियम, 2014,
- (4) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014,
- (5) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014,
- (6) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014,
- (7) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एच0टी0 व ई0एच0टी0 संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि एवं कमी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014,
- (8) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित, सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबन्धन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 (मुख्य विनियम 2013),

- (9) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबन्धन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 (मुख्य विनियम 2010),
- (10) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013,
- (11) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबन्धन) विनियम, 2013 (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013

घोर व्यवधान के ही मध्य सचिव, विधान सभा ने घोषणा की कि :-

- (1) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का सातवां अधिनियम बन गया।
- (2) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का आठवां अधिनियम बन गया।
- (3) उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का नवां अधिनियम बन गया।
- (4) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का दसवां अधिनियम बन गया।
- (5) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।
- (6) उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का बारहवां अधिनियम बन गया।
- (7) उत्तराखण्ड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का तेरहवां अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का चौदहवां अधिनियम बन गया।
- (9) उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

- (10) उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का सौलहवां अधिनियम बन गया।
- (11) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।
- (12) उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया—

मा0 "भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2011" जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2011 को पारित किया गया था एवं संशोधन विधेयक, 2014 जो दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति की अनुज्ञा हेतु प्रेषित किये गये थे, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त दोनों विधेयकों में कतिपय संशोधनों के दृष्टिगत राज्य सरकार को वापस कर एक संयुक्त विधेयक लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तत्कम में "भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2011 एवं 2014 को वापस लिए जाने का अनुरोध करती हूँ।

प्रश्न उपस्थित हुआ एवं स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 की बैठक में दिनांक 02 तथा 03 नवम्बर, 2015 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:—

नवम्बर, 2015

02 सोमवार

- (1) पूर्व राष्ट्रपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के निधन पर शोकोद्गार।
- (2) औपचारिक कार्य।
- (3) अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना।
- (4) विधायी कार्य।

- (5) अनुदानवार अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण (अपराह्न 04:00 बजे)

03 मंगलवार

- (1) विधायी कार्य।
- (2) अनुदानवार अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
- (3) उत्तराखण्ड विनियोग (2015-16 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन विचार एवं पारण।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 12:35 पर सदन की कार्यवाही 04:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही 04:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष व अन्य साथियों द्वारा नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने तथा प्रकरण पर सी.बी.आई. जांच की मांग को लेकर भा.ज.पा. के सभी सदस्य "वेल" में आकर अपनी अपनी बात जोर जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष के बार बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया और घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 02 सूचनाएं प्राप्त हुईं, वे इनमें से-

"जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट की अत्यन्त महत्वपूर्ण पेयजल योजनाओं का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के संबंध में" श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु तथा,

"जनपद नैनीजाल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत वन ग्रामवासियों को यातायात, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि के मूलभूत सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करते हैं।

सदन की कार्यवाही 04 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।